न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 16/2018

(आरसीएमएस नम्बरः–2018/00019)

उनवान प्रकरण

निरोती पुत्र तिलई जाति चमार निवासी ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला धौलपुर
.................अपीलान्ट

बनाम

1–रामदयाल पुत्र देवहंस जाति चमार निवासी ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला धौलपुर
2–राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर ....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश नामान्तरकरण संख्या 165
दिनांक 13.06.1986 बॉके ग्राम काजीपुरा
तहसील धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट
रेस्पो0सं01 की ओर से :–श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट
रेस्पो0सं02 की ओर स :–श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 24.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 589 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा वांके ग्राम काजीपुरा किस्म सिवायचक वंजड का आवंटन कमेटी ने आवंटन रामदयाल पुत्र देवहस, निरोती पुत्र तिलई जाति चमार दिनांक 27.10.1977 को किया गया था। अपीलान्ट का मौके पर कब्जा था। नामान्तकरण संख्या 165 ग्राम काजीपुरा दिनांक 13.6.1986 तहसीलदार धौलपुर द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त आदेश से असन्तुष्ठ होकर अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि आवटंन कमेटी द्वारा दिनांक 27.10.1977 को प्रार्थी रामदयाल पुत्र देवहंस, निरोती पुत्र तिलई जाति चमार का आराजी खसरा नम्बर 589 रकवा 1 वीधा 9 विस्वा बांके ग्राम काजीपुरा तहसील धौलपुर का सर्वसम्मति से आवंटन किया था। अपीलान्ट

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

का मौके पर कब्जा था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा गलत नामान्तकरण रामदयाल, निरोती पिसरान देवहस के नाम से भरकर स्वीकार करा दिया जो गलत है काबिल निरस्ती है। आवेदन पत्र आवंटन की पटवारी हल्का की रिपोर्ट में रामदयाल पुत्र देवहस, निरोती पुत्र तिलई अंकित है। आवेदन पत्र प्रपत्र की जॉच में सही अंकन है आवंटन कमेटी के आदेश में सही है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण में फार्म में निरोती पुत्र देवहस का गलत अंकन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा कोई जॉच अंकन बावत नहीं की तथा तहसीलदार धौलपुर ने केवल स्वीकार आदेश पारित किया। उक्त आदेश विधिवत नहीं है इसके पश्चात राजस्व अभिलेख में रामदयाल पुत्र निरोती जाति चमार जमाबन्दी सं0 124 सम्बत 2043 से 46 तथा जमाबन्दी सं0 130 ग्राम काजीपुरा रामदयाल, निरोती पिसारान देवहंस सादेह गैरखातेदार सम्बत 2047 से 2051 में अंकिन कर दिया। जबकि राजस्व अभिलेख में जॉच के बाद सही अंकन करना चाहिऐ था। पहचान पत्र अपीलान्ट में भी निरोती पुत्र तिलई अंकित है। जबकि निरोती पुत्र देवहस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत ओदी के द्वारा पहचान प्रमाण पत्र जारी जॉच के बाद किया गया है। जिसमें निरोती पुत्र तिलई अंकित है। अतः राजस्व अभिलेख में गलत अंकन के कारण अपीलान्ट को किसी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड में बल्दियत शुद्व करने के कम में प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत कैम्प दिनांक 20.6. 2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था राजस्व अधिकारियों ने शुद्व का आश्वासन दे दिया था लेकिन अभी तक नहीं किया है। वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 589 रकवा 1 वीधा 9 विस्वा बांके ग्राम काजीपुरा तहसील धौलपुर में निस्फ भाग का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है मौके पर काबिज है। अपीलान्ट ग्रामीण अशिक्षित अनपढ किसान है जिसको कानूनी ज्ञान कतई नहीं है। इसलिये राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्रांज पिता के नाम को सही नहीं करा सका। राजस्व कर्मचारियों की गलती के लिए अपीलान्ट को दण्डित नहीं किया जा सकता। राजस्व कैम्प धौलपुर दिनांक 7.5.2018 को राजस्व अधिकारियों के द्वारा पिता का नाम शुद्व करने से मना करने पर एवं नामान्तकरण की अपील की सलाह देने पर जानकारी से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है तथा देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 165 ग्राम काजीपुरा दिनांक 13.6.1986 तहसीलदार धौलपुर निरस्त किया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सर्मथन में नकल नामान्तकरण संख्या 165 ग्राम काजीपुरा, नकल जमाबन्दी संख्या 124 सम्बत 2046 से 2049, नकल जमाबन्दी सं0 130 सम्बत 2047 से 51 ग्राम काजीपुरा, नकल प्रा0पत्र आवंटन रामदयाल,निरोती आदेश सहित आवंटन आदेश दिनांक 27.10.1977, नकल छायाप्रति पहचानपत्र निरोती, नकल छायाप्रति आदमी का अधिकार निरोती, नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 27.6.2017 निरोती बल्दियत शुद्व करने बावत, असल प्रमाणपत्र सरपंच ग्राम पंचायत ओदी, नकल जमाबन्दी सं0 120 सम्बत 2071 से 2074 ग्राम काजीपुरा तहसील धौलपुर पेश किये है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 589 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा वांके ग्राम काजीपुरा किस्म सिवायचक वंजड का आवंटन कमेटी ने आवंटन रामदयाल पुत्र देवहस, निरोती पुत्र तिलई जाति चमार दिनांक 27.10.1977 को किया गया था तथा नामान्तकरण संख्या 165 दिनांक 13.6.1986 तहसीलदार धौलपुर द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा गलत नामान्तकरण रामदयाल, निरोती पिसरान देवहस के नाम से भरकर स्वीकार करा दिया जो गलत है काबिल निरस्ती है। आवेदन पत्र आवंटन की पटवारी हल्का की रिपोर्ट में रामदयाल पुत्र देवहस, निरोती पुत्र तिलई अंकित है। आवेदन पत्र प्रपत्र की जॉच में सही अंकन है आवंटन कमेटी के आदेश में सही हे लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण में फार्म में निरोती पुत्र देवहस का गलत अंकन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा कोई जॉच अंकन बावत नहीं की तथा तहसीलदार धौलपुर ने केवल स्वीकार आदेश पारित किया। उक्त आदेश विधिवत नहीं है इसके पश्चात राजस्व अभिलेख में रामदयाल पुत्र निरोती जाति चमार जमाबन्दी सं0 124 सम्बत 2043 से 46 तथा जमाबन्दी सं0 130 ग्राम काजीपुरा रामदयाल, निरोती पिसारान देवहंस सादेह गैरखातेदार सम्बत 2047 से 2051 में अंकिन कर दिया। जबकि राजस्व अभिलेख में जॉच के बाद सही अंकन करना चाहिऐ था। पहचान पत्र अपीलान्ट में भी निरोती पुत्र तिलई अंकित है। जबकि निरोती पुत्र देवहस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत ओदी के द्वारा पहचान प्रमाण पत्र जारी जॉच के बाद किया गया है। जिसमें निरोती पुत्र तिलई अंकित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने वहस कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया तथा अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार किया। विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पुनः जांच करायी जाकर नाम शुद्व किया जाना उचित होगा।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 589 रकवा 01 वीधा 09 विस्वा वांके ग्राम काजीपुरा किस्म सिवायचक वंजड का आवंटन कमेटी ने आवंटन रामदयाल पुत्र देवहस, निरोती पुत्र तिलई जाति चमार दिनांक 27.10.1977 को किया गया था तथा नामान्तकरण संख्या 165 दिनांक 13.6.1986 तहसीलदार धौलपुर द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा गलत नामान्तकरण रामदयाल, निरोती पिसरान देवहस के नाम से भरकर स्वीकार करा दिया जो गलत है काबिल निरस्ती है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्ठया यह प्रतीत होता है कि

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

आवेदन पत्र आवंटन की पटवारी हल्का की रिपोर्ट में रामदयाल पुत्र देवहस, निरोती पुत्र तिलई अंकित है। आवेदन पत्र प्रपत्र की जॉच में भी यही अंकन है आवंटन कमेटी के आदेश में अंकन है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण में निरोती पुत्र देवहस का गलत अंकन किया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा कोई जॉच अंकन बावत नहीं की तथा तहसीलदार धौलपुर ने केवल स्वीकार आदेश पारित किया। उक्त आदेश विधिवत नहीं है इसके पश्चात राजस्व अभिलेख में रामदयाल पुत्र निरोती जाति चमार जमाबन्दी सं0 124 सम्बत 2043 से 46 तथा जमाबन्दी सं0 130 ग्राम काजीपुरा रामदयाल, निरोती पिसारान देवहंस सादेह गैरखातेदार सम्बत 2047 से 2051 में अंकिन कर दिया। जबकि राजस्व अभिलेख में जॉच के बाद सही अंकन करना चाहिऐ था। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र में निरोती पुत्र तिलई अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत ओदी के द्वारा पहचान प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिसमें निरोती पुत्र तिलई अंकित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पहचान पत्र से प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 165 दिनांक 13.6.1986 ग्राम काजीपुरा तहसील धौलपुर निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह समस्त आवंटन कार्यवाही व अभिलेखों व मौका तस्दीक व अपीलान्ट की पहचान स्थापित कर काबिज होने की सत्यता जॉच कर नामान्तकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः उचित आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner